

बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त सभी इण्टरमीडियरी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों में इण्टरमीडिएट सत्र 2026-2028 में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची जारी करने के संबंध में विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट सत्र की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-28 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System for Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विद्यार्थियों/संकाय/प्राचार्यों को 05.05.2026 के मध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक 08.05.2026 से 19.04.2026 तक OFSS Website पर ऑनलाईन आवेदन (CAF) आभारित किया गया था, जिसके बाद में अंतिम रूप से विद्यार्थी संख्या-पी.आर. 98/2028 के माध्यम से दिनांक-25.04.2026 तक ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि विस्तारित किया गया था।

2. समिति द्वारा दिनांक 25.04.2026 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उल्लेखित कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिबन्ध, आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिये गये संस्थान एवं संकाय के विवरण के आधार पर इण्टर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 05.05.2026 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी, जिसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों का आवेदित शिक्षण संस्थानों में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक नामांकन किया जाना है। साथ ही प्रतिचयन नामांकित विद्यार्थियों की विवरणों को अगले दिन अपडेट रूप से OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर Online Only करके अपडेट (Update) किया जाना है।

3. नामांकन की अद्ययि में सभी शिक्षण संस्थानों में प्रधानाध्यापक/प्राचार्य तथा सभी शिक्षक/अध्यापक/अध्यापिकाओं को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो चयनित विद्यार्थियों के नामांकन संबंधी कार्य का निष्पत्ति करेगा। बूटिक नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में काउन्सिलर की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएँ की जानी हैं, अतः यह आवश्यक है कि इनका सुचारु रूप से नामांकन हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा आवश्यकानुसार अन्य शिक्षकों/शिक्षक/अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

4. अतः यहाँ के आलोक में इण्टर कक्षा में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आरक्षण कक्षा का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउन्सिलर की व्यवस्था की जाये, जिससे कि किसी भी दिन नामांकन के समय आवश्यकता से अधिक भीड़ नहीं हो सके। साथ ही, उचित कार्यों को सम्पादित करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षक/अध्यापक/अध्यापिकाओं की प्रतिनियुक्ति की जाये।

5. OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त पर्युपुनर्कृत श्रेणी के सभी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के प्रथम चरण में प्रथम चयन सूची (First Selection List) का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जा रहा है:-

(i) इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संख्या/संकाय कुल संख्या

(ii) विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन में परे गये संस्थान/संकाय का विकल्प

(iii) विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिबन्ध

(iv) आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रणामी प्राधान्य

(v) वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की परीक्षा के साथ 10वीं की परीक्षा भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में यदि 12वीं की परीक्षा हेतु विकल्पों में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है) का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान से नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गयी है, अर्थात् यदि उनका अपने मूल संस्थान को ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी में अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को प्रथम चयन पर दिया है और उनका चयन करने में प्रथम चयन सूची में नामांकन पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस पर परिधिस्थित में उन्हें प्रथम चयन सूची में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो प्रथम चयन सूची में नामांकन किया जायेगा) के संस्थान हेतु होता है, तो उसे स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा। शिक्षण संस्थान के लिये यह प्राधान्य उनकी अधिकतम स्वीकृत सीट की संख्या के सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या से अधिक उच्च संस्थान में विद्यार्थियों ने इण्टर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वही स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेरा सूची में ऊपर से अधिकतम सीट समाप्त के अनुसार ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर मेरा सूची में नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेरा सूची में नीचे हैं) को वह संस्थान नहीं दिया जायेगा, बल्कि उनके द्वारा परे गये विकल्पों के आधार पर उनका चयन आभारित किया जायेगा।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा इण्टर में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) दिनांक 05.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जारी किया जायेगा, जिसे संबंधित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों को उनके Login ID पर मेज़ने की कार्यवाही की जा रही है। इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों के अलग-अलग संकायों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Website पर दिनांक 05.05.2026 को जारी किया जायेगा, जिसे आवेदक <https://ofssbihar.net> पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम चयन पत्र (Intimation Letter) भी निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे वे OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password आभारित कर देख सकते हैं तथा Reference ID/Barcode No. एवं अपना मोबाईल नम्बर अधिकतर Download भी कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनित विद्यार्थियों को SMS भी भेजा जा रहा है।

7. अतः प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदनकर्ता दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अपने आवेदित शिक्षण संस्थान में नामांकन सीट सुनिश्चित करेगा। प्रथम चयन सूची के आधार पर संबंधित विद्यार्थी OFSS Portal से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट निकालकर संबंधित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं आवश्यक सभी अभिलेख आभार कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में भेजे पर OFSS Portal पर इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अपडेट (Update) करेगा।

8. अगर कोई आवेदक उन्हें आवेदित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र 2026-28 में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में आगे जो चयन सूची जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा अर्थात् उनका आवेदन सत्र बदर कर दिया जायेगा।

9. यदि कोई आवेदक प्रथम चयन सूची के तहत उन्हें आवेदित किए जाने वाले इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान/संकाय से संतुष्ट नहीं है और दूसरा इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान/संकाय चुनना चाहते हैं तो ऐसे आवेदकों के लिये आवश्यक है कि जिस इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन के लिये उनका नाम प्रथम चयन सूची में तहत आवेदित किया गया है, उस इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान में नामांकन अवश्य कार्य करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। आवेदित संस्थानों में नामांकन करने के बाद ही वे द्वितीय/तृतीय चयन सूची जारी होने पर वैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन ले सकते हैं, जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं हैं जिसे स्लाइड अप प्रक्रिया करते हैं:-

9.1 स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया:- प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक उनके द्वारा परे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना ऑनलाईन विकल्प बदर सकते हैं। इसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निम्नलिखित तिथि दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक वे अपना नामांकन प्रत्यक्ष संकाय/संकाय में अवश्य कर लें। नामांकन नहीं करने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची में विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा। यह भी सुचित किया जाता है कि अन्तर्गत Slide Up विकल्प में नया संकाय/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही कोई नया संकाय/संकाय जोड़ सकते हैं।

9.2 अर्थात् अगर आवेदक प्रथम चयन सूची में निम्नलिखित प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं हैं, तो वैसे विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक OFSS वेबसाइट के माध्यम से Student Login में जाकर उनके द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना को Slide Up विकल्प पर सहमति दे सकते हैं, परन्तु नये संकाय/संकाय का विकल्प न तो जोड़ सकते हैं अर्थात् ना ही हटा सकते हैं। Slide Up पर सहमति देने के पर्याप्त संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गये उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की संभावना है।

9.3 इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये जारी प्रथम चयन सूची के अनुसार चयनित आवेदक को संबंधित संस्थान में नामांकन करना अनिवार्य है। आवेदकों को पुनः सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिये उन्हें आवेदित शिक्षण संस्थान से सम्पर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर चयनित आवेदक अपने रिश्तेदार/अन्य व्यक्ति से नामांकन प्रक्रिया संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये आवश्यक है तो वे अपने संबंधित व्यक्ति से नामांकन प्रक्रिया संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. प्रथम चयन सूची में जिन आवेदकों का चयन (उनके द्वारा परे गये विकल्पों में से उनके प्राप्तांक प्रतिबन्ध एवं अभाव के आधार पर) किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है, वे अपने आवेदक दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक OFSS वेबसाइट में Login करके अन्य नये शिक्षण संस्थान का विकल्प नामांकन हेतु दोबारा पर सकते हैं। नये विकल्प पर उन्हें आवेदक विकल्प के रूप में नये इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान में संकाय का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को न्यूनतम 10 (दस) विकल्प एवं अधिकतम 20 (बीस) विकल्प आवेदन पत्र में दोबारा भरना होगा। इन परे गये विकल्पों के आधार पर दूसरी चयन सूची के लिये उनका वह नया आवेदन (CAF) मान्य होगा। इस कार्य हेतु आवेदकों को दोबारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे आवेदकों को उनके वर्तमान परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिबन्धित हटवाये के आधार पर द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में शिक्षण संस्थान आवेदित करने हेतु विचार किया जायेगा।

11. ऑनलाईन आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था, जिसमें 150/- रुपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रुपये संस्थान शुल्क निहित था। अतः सभी इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों को सुचित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनमें इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों में होगा उन सभी विद्यार्थियों को कुल शुल्क के अनुसार 200/- रुपये प्रति नामांकित विद्यार्थी की दर से कुल राशि Demand Draft/RGS/NEFT के माध्यम से समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों को भेज दी जायेगी। अतः कोई भी इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) अलग से नहीं लेगा, सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य देय शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।

12. नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिये आवश्यक सूचना:-

(i) दिनांक 05.05.2026 को जारी किये जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक संबंधित संस्थानों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाइट के संस्थान Login में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपडेट करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य है अन्यथा यदि तब तक संबंधित विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो सकेगा तो OFSS वेबसाइट में गरी हुई (Filed) मानी जाये एवं प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाइट के माध्यम से पता चल सके। इन्हें रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए संबंधित संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

13. नामांकन के पर्याप्त और विद्यार्थी अपने चयनित विकल्पों में किसी उच्चतर विकल्प वाले शिक्षण संस्थान में नामांकन के लिये इच्छुक हैं, तो वे नामांकन के पर्याप्त OFSS वेबसाइट के Student's Login के माध्यम से Slide Up Option में अपनी सहमति दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अवश्य दें।

14. उल्लेखनीय है कि प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पर्याप्त विद्यार्थियों को द्वितीय सूची में अंतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराया होगा। इसके पर्याप्त हो सका है कि तृतीय एवं अंतिम चयन सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले शिक्षण संस्थान का विकल्प प्राप्त हो, जिसमें उनके द्वारा उच्चतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना समाहित है। सभी परिधिस्थित में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन करने में बार-बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-

(i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाये।

(ii) तदनुसार यदि किसी विद्यार्थी आगामी द्वितीय अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन करने के समय इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(iii) समय प्रक्रिया के तहत चयन की समाप्ति के पर्याप्त (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पर्याप्त) विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के तहत नामांकन से नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी।

(क) अगर वह नामांकन शुल्क नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाये।

(ख) अगर वह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो वह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूरे के संस्थान में नामांकन के समय किसी राशि जमा की गयी है। अगर पूरे के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उरानी अतिरिक्त राशि विद्यार्थियों से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाना और अगर वह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पूरे के नामांकित संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को एक नामांकित शिक्षण संस्थान को अवश्य ही वापस कर दिया जाये। साथ ही विद्यार्थी के पूरे नामांकित शिक्षण संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाये।

15. नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेश: आवेदनकर्ता Computer से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) की प्रिंट प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form (CAF) की प्रिंट एवं अपना मोबाईल संख्या जो उन्होंने CAF करने के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखें।

• सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब आउटपर के माध्यम से OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर जायेगा।

• उसके पर्याप्त और पेज पर दिये गये लिंक "इण्टर"/+2 कक्षा में नामांकन प्रथम एवं नामांकन संबंधी इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान/संकाय की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगे।

• उसके पर्याप्त और पेज पर दिये गये चुनेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं लिंक मोबाईल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भर है, उसे सही-सही भरेगा।

• आगे बढ़ने के पहले आवेदक आवेदन द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेंगे कि सूचनायें सही भरी गयी हैं।

• वांछित सूचना अधिकतम रूप से पर्याप्त आवेदक चयनित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान एवं संकाय देख पायेगा।

• उसके पर्याप्त आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।

• डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये सूचना पत्र (Intimation Letter), Common Application Form का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अभिलेख साथ-10वीं कक्षा परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परिवर्तन पत्र, प्रथम चयन पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान द्वारा मांगी जाय तथा उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्टतस्वीरित दो-दो प्रतिप्रतिप एवं वासपुनर्कृत आभार के पत्र सभी प्रिण्ट कोटो लेकर संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन कार्य करेंगे।

16. इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्यों के लिये आवश्यक निदेश:-

(i) जिस इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित होंगे उस शिक्षण संस्थान के Admission Incharge को वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन OFSS वेबसाइट पर अपडेट हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी होगी:-

• किसी भी वेब आउटपर में <https://ofssbihar.net> वेबसाइट खोलें।

• खोलने के पर्याप्त "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।

• "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पर्याप्त "Admission Update" पर क्लिक करें "Drop Down" से संबंधित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान/संकाय चुनें।

• उसके पर्याप्त संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पर्याप्त "Click To Save" बटन पर क्लिक करें।

• "Click To Save" बटन पर क्लिक करने के पर्याप्त OK बटन पर क्लिक करें।

• OK बटन पर क्लिक करने के पर्याप्त संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में अपडेट हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान में हो गया है।

• उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि OFSS वेबसाइट में आवेदक का नाम अपडेट होने पर ही वह सीट भरा हुआ माना जायेगा, जिससे कि जब बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी की जाय, तो संबंधित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान के रिक्त सीट के लिये ही चयन सूची जारी हो सके।

(ii) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक उन्हें आवेदित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थानों में किया जायेगा। अतः संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाइट के इण्टरमीडियरी शिक्षण Login में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपडेट करते रहें। ऐसा करना अनिवार्य है अन्यथा यदि तब तक संबंधित विद्यार्थियों का नामांकन इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान में लिया जायेगा, की सीट OFSS वेबसाइट में गरी हुई मानी जाये एवं प्रथम चयन सूची (First Selection List) के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाइट के माध्यम से पता चल सके। इन्हें रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संबंधित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

(iii) दिनांक 05.05.2026 को जो विद्यार्थी संबंधित संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सूची OFSS वेबसाइट में नामांकन Login में दिनांक 05.05.2026 को निश्चित रूप से संस्थान द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दिया जाये। इसी प्रकार, दिनांक 06.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 07.05.2026 को, दिनांक 07.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 08.05.2026 को, दिनांक 08.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 09.05.2026 को, दिनांक 09.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 10.05.2026 को, दिनांक 10.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 11.05.2026 को, दिनांक 11.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 12.05.2026 को एवं दिनांक 12.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 13.05.2026 को ही संस्थान द्वारा OFSS वेबसाइट पर Login कर अवश्य ही अपडेट कर दिया जाये। इन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही परे जाने पर संबंधित संस्थान एवं उनके प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(iv) बूटिक नामांकन प्रक्रिया समाप्ति में लिया जाना है, अतः नामांकन की प्रक्रिया शुद्ध रूप से एवं सतसय अवश्य हो, इसके लिये आवेदक पर से इस कार्य का प्रतिदिन सघन रूप से अनुक्रमण आवश्यक है। बूटिक इस अर्थ अर्थ में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होना है, अतः सभी शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्यों को निदेश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम 04 (चार) काउन्सिलर (अधिकतम संख्या इससे अधिक की रखी जा सकती है) रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा न्यूनतम 03-04 स्टाफ पर उक्त संस्थान के लिये नामांकित विद्यार्थियों की सूची भी लगायी/विपक्षयी जाय। सभी प्रधानाध्यापक/प्राचार्य इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगी।

17. नामांकन के विरुद्ध कोटोर कार्यवाही की जायेगी।

के लिये आवश्यक निदेश:-

(i) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदित इण्टरमीडियरी शिक्षण संस्थान/संकाय में विद्यार्थी अपना नामांकन कार्य करें।

(ii) दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच किसी भी दिन ऐसे विद्यार्थी OFSS के वेबसाइट <https://ofssbihar.net> के Student's Login पर अपना User ID एवं Password से Login करके ड्रॉप स्लाइड अप (Slide Up) Option पर Click करने तथा स्लाइड अप (Slide Up) हेतु वेबसाइट पर सहमति दें। इसके लिये निम्न प्रक्रिया है:-

(क) अपना User ID एवं Password से अपना पेज खोलें।

(ख) क्लिक करने के पर्याप्त एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Slide Up Option लिखा है।

(ग) Slide Up Option हेतु इच्छुक विद्यार्थी Slide Up Option के सामने दिये गये बटन को क्लिक करेंगे।

(iii) विद्यार्थी Slide Up पर सहमति देने के क्रम में कोई संस्थान/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही कोई संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं। विद्यार्थी यहाँ पुनः स्लूड किया जाता है कि द्वितीय चयन सूची के लिये उन्हें कोई भी विकल्पों के Slide Up Option पर क्लिक किया जायेगा, जो प्रथम चयन सूची में नामांकित संस्थान में नामांकन करा लेंगे। यदि वे प्रथम चयन सूची में आवेदित शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन (Candidature) रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा परे गये Slide Up Option पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

18. वैसे विद्यार्थी, जिनका प्रथम चयन सूची (First Selection List) में नहीं होता है, के लिये आवश्यक सूचना:- विद्यार्थी द्वारा दिये गये Choices (विकल्पों) वाले शिक्षण संस्थान के Cut Off Marks से कम प्राप्तांक रहने के कारण अथवा किसी को न्यूनतम अंकता (Minimum Criteria) पूरा नहीं करने के कारण जिन विद्यार्थियों को प्रथम चयन सूची (First Selection List) में चयन नहीं हो सका है, वैसे विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत है:-

(i) विद्यार्थी OFSS Portal पर उपलब्ध सभी शिक्षण संस्थानों की सभी संकायों का प्रथम कटऑफ लिस्ट (First Cut Off List) देख लेंगे कि किन-किन शिक्षण संस्थानों/संकायों में किन-किन आरक्षण कोटि के अंतिम चयनित विद्यार्थी का क्या अंक प्रतिबन्ध है।

(ii) दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच ऐसे विद्यार्थी OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password के माध्यम से अपना पेज खोलेंगे।

(iii) प्रथम चयन सूची के कट ऑफ नर्सर को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच OFSS Portal पर न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 विकल्प भरेंगे।

19. वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रकरण (CAF) भर गया है, परन्तु किसी कारणों से उनका नामांकन नहीं हो सका है, तो वे अपने पुनः आवेदित एवं परसफर के माध्यम से वेबसाइट पर Login करके हुए नामांकन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची के प्रकाशन के क्रम में विचार किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रथम चयन सूची जारी करने के पर्याप्त:-
(i) प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि:- दिनांक 05.05.2026
(ii) नामांकन की अद्ययि:- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक
(iii) शिक्षण संस्थान द्वारा OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> में Login कर सीट अपडेट किये जाने की अंतिम तिथि:- दिनांक 13.05.2026 तक
(iv) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पर्याप्त स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाईन आवेदन की अद्ययि:- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक
(v) क्लिक विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प करने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अद्ययि:- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक
20. इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संक्षेप में विस्तृत जानकारी समिति की वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर प्राप्त की जा सकती है।
विद्यार्थियों को नामांकन संबंधी सूचना प्रदान करने के लिये समिति द्वारा